Title: Demand to establish a High Court's bench in western Uttar Pradesh.

श्री छत्रपाल सिंह (बुलन्दशहर) : उपाध्यक्ष महोदय, अंग्रेजों के जमाने से हाई कोर्ट की सिर्फ चार बैन्चिज ही चली आ रही है, जिसमें एक हाई कोर्ट इलाहाबाद में है। आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा राज्य है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 20 जिलों के वकील और जनता 1980 से हाई कोर्ट की बैन्च की मांग करते चले आ रहे हैं। पिछले 15 दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कचहरी का काम बंद है। कितने निर्दो लोग जमानत के अभाव में जेल में पड़े हैं। उनकी जमानत कराने वाला कोई नहीं है। पिछली कई सरकारों के समय में भी यहां पर हाई कोर्ट की बैन्च का सवाल उठता रहा है, परन्तु पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बैन्च स्थापित नहीं हुई। जसवन्त सिंह आयोग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा या मेरठ में बैन्च स्थापित करने की संस्तुति की थी। परन्तु सरकार ने आयोग की सिफारिशों को नहीं माना। मेरा आग्रह है कि सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बैन्च यथाशीघ्र स्थापित करने का आश्वासन दे, जिससे कि वहां आन्दोलनरत वकीलों का आन्दोलन वापिस हो।